सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 85/2017

रतिराम पुत्र कंचन जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील महवा जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायबतहसीलदार, महवा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.09.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, महवा

उपस्थित : 1.श्री चरणसिंह डोई, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 04.04.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, महवा ने दिनाक 22.09.2017 को ग्राम जलालपुर के आ0ख0न0 649/1306 रकबा 0.01 है0 किस्म जमीन बंजड पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली व पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूँठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी बंजड भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया बल्कि अपीलांट ने स्वयं की भूमि पर पक्का निर्माण किया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्व एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से बंजड भमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पक्का निर्माण " अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में नवीन अतिक्रमण होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बंजड भूमि पर नया अतिक्रमण किया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नही हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय बंजड भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 04 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official